भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 358
उत्तर देने की तारीख-23/07/2025

उच्च शिक्षा संस्थानों में रैगिंग विरोधी नियमों का अनुपालन

358# **श्रीमती फूलो देवी नेतम:**

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) में रैगिंग विरोधी नियमों का पालन किया जा रहा है;
(ख) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों का निरीक्षण किया है, यदि हाँ, तो उनमें क्या कमियाँ पाई गई हैं; और
(ग) क्या यह सच है कि यूजीसी ने आईआईएम और आईआईटी सहित कई विश्वविद्यालयों को रैगिंग विरोधी नियमों का पालन न करने वाले डिफॉल्टर शैक्षणिक संस्थानों की सूची में शामिल किया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क): माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 08.05.2009 की सिविल अपील संख्या 887/2009 के संबंध में निर्णय के अनुसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने दिनांक 17 जून 2009 को अधिसूचित "उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग के जोखिम पर नियंत्रण संबंधी यूजीसी विनियम, 2009" तैयार किए हैं, जो वर्तमान में लागू हैं। इन विनियमों का सभी उच्चतर शिक्षा संस्थाओं द्वारा अनिवार्यतः पालन किया जाएगा।

(ख) और (ग): यूजीसी मानकीकृत तंत्रों के माध्यम से संस्थागत अनुपालन सुनिश्चित करता है, जिनमें शामिल हैं:

- संस्थाओं को अनुपालन प्रश्नावली का परिचालन, जिसे ऑनलाइन भरकर प्रस्तुत करना होगा;
- टेलीफोन पर सत्यापन और रैगिंग विरोधी नोडल अधिकारियों को अनुवर्ती कॉल;
- स्पष्टीकरण या अपडेट हेतु आवधिक ईमेल संचार;
- आधिकारिक पोर्टल www.antiragging.in पर संस्थागत प्रस्तुतियों की समीक्षा, जिसमें छात्र शपथ-पत्र, समिति का गठन और संपर्क जानकारी आदि शामिल हैं .

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उन उच्चतर शिक्षा संस्थाओं (एचईआई) की एक ऑनलाइन सूची रखता है, जिन्होंने यूजीसी रैगिंग विरोधी विनियम, 2009 के तहत प्रमुख अनुपालन मापदंडों- जैसे कि छात्रों द्वारा अनिवार्य शपथ-पत्र प्रस्तुत न करना अथवा रैगिंग विरोधी समिति ब्यौरे के अभाव को पूरा नहीं किया है। यूजीसी ने कुछेक आईआईटी और आईआईएम सहित 89 संस्थाओं को दिनांक 9 जून, 2025 को अनिवार्य वचनबंध प्रस्तुत न करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। संस्थाओं को एक निर्धारित समय-सीमा के भीतर अद्यतन अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, जिससे विद्यार्थियों के हित में प्रक्रियात्मक जवाबदेही और प्रणालीगत निवारण को बल मिलेगा। आज की स्थिति के अनुसार, 49 संस्थाओं द्वारा अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है।

*****